

TERMS AND CONDITIONS ("T&C")

नियम व शर्तें ("T&C")

ARTICLE 1 INTRODUCTION

अनुच्छेद 1 का विवरण

1.1 AEON Credit Service India Private Limited ("ACSI") is a Non Banking Finance Company ("NBFC") registered with the Reserve Bank of India (the "RBI") and as such ACSI, inter alia, provides various lending facilities to customers.

1.1 AEON क्रेडिट सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ACSI") भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") के तहत पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("NBFC") है और ACSI, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

These T&C are applicable universally to all the persons doing business/dealing with ACSI with regards to its Personal Loan Business ("PLB") and shall be construed as read and understood by such persons.

1.2 यह नियम व शर्तें ACSI के व्यक्तिगत ऋण व्यापार ("PLB") से संबंधित उन सभी लोगों पर लागू होते हैं जो इसके साथ व्यापार/लेन-देन करते हैं और और ऐसे व्यक्तियों द्वारा पढ़ा व समझा गया माना जायेगा।।

The Borrower has represented to ACSI that the Borrower is in need of financial assistance for the purpose mentioned in the Loan Application (defined later) and has requested ACSI to grant to the Borrower a Personal Loan which shall be used by the Borrower only for the said purpose. Towards this end, the Borrower has filed a Loan Application to avail the Personal Loan facility from ACSI.

1.3 उधारकर्ता ने ACSI के समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि उसे ऋण आवेदन में लिखित उद्देश्य (जिसे बाद में परिभाषित किया गया है) के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और उसने ACSI से उधारकर्ता को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए निवेदन किया है जिसका उपयोग उसके द्वारा केवल उक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, उधारकर्ता ने ACSI से व्यक्तिगत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऋण आवेदन दिया है।

1.4 Relying upon the representations of the Borrower and subject to the Borrower meeting ACSI's eligibility criteria and all other legal requirements for qualifying as an approved borrower, ACSI agrees to make available/grant the Personal Loan (as defined below) to the Borrower as stipulated in the Loan Application, on T&C more particularly stated herein. However, nothing contained herein may be construed as creating any rights/ obligations with ACSI and any contractual commitments shall be subject to fulfillment of/adherence/subject to any/all further terms/conditions as applicable on a case to case basis.

1.4 उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर भरोसा करते हुए और यह मानते हुए कि उधारकर्ता द्वारा ACSI की पात्रता मानदंड को पूरा किया जाएगा और एक अनुमोदित उधारकर्ता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए सभी अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, ACSI उधारकर्ता को व्यक्तिगत ऋण (नीचे बताए गए अनुसूचक) उपलब्ध कराने/प्रदान करने के लिए सहमत है जैसा कि ऋण आवेदन में नियत है, और अधिक स्पष्ट रूप से नियम व शर्तों पर, जो यहाँ बताए गए हैं। हालाँकि, यहाँ बताए गए किसी भी बात को ACSI पर किसी भी अधिकार/बाध्यता को बनाने के रूप में नहीं समझा जा सकता है और किसी भी तरह के संविदात्मक प्रतिबद्धता प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होने वाले अनुपालन/ आगे की कुछ या सभी नियम / शर्तें / पूरे किए जाने वाली शर्तों के अधीन ही पूरे किए जाएंगे।

ARTICLE 2 DEFINITION

अनुच्छेद 2 परिभाषा

In these T&C, and any documents executed, the capitalized terms listed below shall have the following meanings:

इन नियम और शर्तों में, तथा किसी भी निष्पादित दस्तावेजों में, नीचे बड़े अक्षरों में सूचीबद्ध नियमों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"ACSI" has the meaning attributed to it in paragraph 1.1.

"ACSI" का अर्थ परिच्छेद 1.1 में दिया गया है।

"ACSI Location" means the ACSI branches, offices and any other place where the ACSI ending business is/was transacted.

"ACSI स्थान" का तात्पर्य ACSI के शाखाओं, कार्यालयों और कोई अन्य स्थान से है जहाँ ACSI का ऋण व्यापार होता है/था।

"Authorised Bank" means the bank authorised by ACSI to collect payments from the Borrower on its behalf, including payment wallets, payment gateway systems, any other legally authorized internet/mobile application/banking based payment portals, with whom ACSI may or may not have formal tie-ups.

"प्राधिकृत बैंक" का तात्पर्य ACSI द्वारा अधिकृत बैंक से है जो उसकी ओर से उधारकर्ता से भुगतान इकट्ठा करेगा, जिसमें भुगतान वॉलेट, भुगतान गेटवे प्रणालियाँ, कोई अन्य कानूनी रूप से अधिकृत इंटरनेट/ मोबाइल एप्लिकेशन/बैंकिंग आधारित भुगतान पोर्टल शामिल हैं, जिनके साथ ACSI का कोई औपचारिक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी।

"Borrower(s)" means the person/individual named in Item I of the Sanction Letter and

his/her/its respective heirs, executors and administrators.

"उधारकर्ता(ओं)" का अर्थ है स्वीकृति पत्र के अंश 1 में दिए गये नाम का व्यक्ति/शख्स तथा उसके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रबंधक।

"Electronic Record" means electronic record as defined under the Information Technology Act, 2000 and includes all documentation/communication created/generated electronically in any manner howsoever/whatsoever including but not limited to these T&Cs, Loan Application, Loan Sanction Letter, agreements, e-mails, electronic signatures, SMS, electronic form of messaging, etc. whether generated/communicated/stored through any device capable of the same including computers, mobile phones, the internet etc.

"इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार/उत्पन्न किए गये सभी प्रलेखीकरण /सम्प्रेषण जैसे भी हो/जो कुछ हो शामिल हैं, जिसमें इन नियम व शर्तों तक ही सीमित न रहकर, ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति पत्र, समझौते, ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, एसएमएस, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गये संदेश आदि शामिल हैं, चाहे वह किसी भी उपकरण के द्वारा उत्पन्न / संप्रेषित / सुरक्षित किये गये हों जो इसके योग्य है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि शामिल हैं। "ईएमआई" का अर्थ है समान मासिक किश्तें जो निश्चित राशि की किश्तें देय होती हैं जिसमें पूरे ऋण अवधि के दौरान व्यक्तिगत ऋण की मूल राशि तथा उस पर लगाए गए ब्याज तथा ऋण मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट अन्य शुल्कों और प्रभारों के पुनर्भुगतान शामिल होते हैं।

"EMI" means equated monthly installments being installments of fixed amounts comprising of the principal amount of the Personal Loan and interest charged thereon payable monthly towards repayment of the Personal Loan Amount throughout the Loan Tenure and other fees and charges as specified in the Loan Sanction Letter.

"ईएमआई" का अर्थ है समान मासिक किश्तें, जो व्यक्तिगत ऋण की मूल राशि और उस पर लगाए गए ब्याज को मिलाकर निश्चित राशि की किश्तें होती हैं, जो ऋण अवधि के दौरान व्यक्तिगत ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए मासिक रूप से देय होती हैं और ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट अन्य फीज़ और शुल्क भी शामिल हैं।

"Loan Application" means the application form for availing the Personal Loan facility that may be granted by ACSI for the purposes mentioned in the Loan Application (subject to fulfillment of all the other conditions and at the sole discretion of ACSI), made by the Borrower to ACSI.

"ऋण आवेदन" का तात्पर्य उधारकर्ता द्वारा ACSI को व्यक्तिगत ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन फॉर्म से है जो ACSI के द्वारा

ऋण आवेदन में लिखे गये उद्देश्य के लिए प्रदान किया जा सकता है (बशर्तें अन्य सभी शर्तें पूरी हों और ACSI के एकमात्र विवेकाधिकार पर)

"Loan Documentation" means the Loan Application together with these T&C, the Loan Sanction Letter and other documents or writings as may be required by ACSI to be executed by or provided by the Borrower for the purposes of the relevant Personal Loan.

"ऋण दस्तावेजीकरण" का तात्पर्य ऋण आवेदन के साथ-साथ यह नियम व शर्तें, ऋण स्वीकृति पत्र और अन्य दस्तावेज या लेखन जिनकी ACSI को आवश्यकता हो सकती है जिन्हें उधारकर्ता द्वारा योग्य व्यक्तिगत ऋण के लिए निष्पादित या प्रदान किया जाता है।

"Loan Sanction Letter" means the sanction letter issued by ACSI to the Borrower, setting out the terms of the Personal Loan, as may be amended, supplemented or replaced from time to time.

"ऋण स्वीकृति पत्र" का तात्पर्य ACSI द्वारा उधारकर्ता को जारी किया गया स्वीकृति पत्र है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण की शर्तें निर्धारित की गई होती हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित, अनुपूरक या पलटा जा सकता है।

"Loan Tenure" means the duration of the Personal Loan as stipulated in the Loan Application.

"ऋण अवधि" का तात्पर्य ऋण आवेदन में निर्धारित व्यक्तिगत ऋण की अवधि से है।

"NBFC" has the meaning attributed to it in paragraph 1.1.

"NBFC" का अर्थ परिच्छेद 1.1 में दिया गया है।

"Outstanding Dues" means all amounts payable by the Borrower to ACSI pursuant to these T&C, including without limitation the principal Personal Loan Amount and interest on the Personal Loan Amount and on any/all Outstanding Dues due and payable to ACSI.

"बकाया राशि" का अर्थ इन नियमों और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय सभी राशियां हैं, जिसमें परिस्तीमा के बिना व्यक्तिगत ऋण की मूल राशि और व्यक्तिगत ऋण राशि पर ब्याज और ACSI को देय और भुगतान योग्य कोई/सभी बकाया राशि शामिल हैं।

"Personal Loan"/ "Personal Loan Amount" means the credit/finance which ACSI

may advance/lend to the Borrower subject to the borrower qualifying for the same and as stipulated in the Loan Application and meeting all further terms and conditions prescribed by ACSI.

"व्यक्तिगत ऋण"/ "व्यक्तिगत ऋण राशि" का तात्पर्य उस ऋण/वित्त से है जो ACSI उधारकर्ता को अग्रिम राशि / उधार के रूप में दे सकता है, बशर्तें उधारकर्ता इसके लिए योग्यता प्राप्त करता है और जैसा कि ऋण आवेदन में निर्धारित हो तथा ACSI द्वारा नियत और आगे की अन्य सभी नियम और शर्तें पूरे किए जाते हों।

"RBI" has the meaning attributed to it in paragraph 1.1.

"आरबीआई" का अर्थ परिच्छेद 1.1 में दिया गया है।

"Recovery Agent" means the agent of ACSI, whether an ACSI employee or a third party duly authorized for the purposes of collection/ recovery of dues payable to ACSI by the Borrower.

"वसूली अभिकर्ता" का तात्पर्य ACSI के अभिकर्ता से है, चाहे वह ACSI का कर्मचारी हो या तृतीय पक्ष जिसे उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय बकाया राशि के संग्रह/वसूली के उद्देश्य के लिए अधिकृत किया जाता है।

ARTICLE 3 TERMS OF PERSONAL LOAN

अनुच्छेद 3 व्यक्तिगत ऋण के नियम

In the event ACSI sanctions the Personal Loan on the basis of the Loan Application submitted by the Borrower, these T&C read together with all relevant Loan Documentation will govern the Personal Loan and the relationship between ACSI and the Borrower.

3.1 यदि ACSI उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये ऋण आवेदन के आधार पर व्यक्तिगत ऋण मंजूर करता है, तो यह नियम व शर्तें और साथ में सभी उपयुक्त ऋण दस्तावेज व्यक्तिगत ऋण एवं ACSI और उधारकर्ता के बीच संबंधों का संचालन करेंगी।

The Borrower shall pay all fees and charges as set out in the Loan Sanction Lender which may be deducted by ACSI at the time of disbursement of the Personal Loan Amount to the Borrower or otherwise recovered by ACSI in any other manner as may be mutually agreed between the Borrower and ACSI. It is clarified that where ACSI intends to deduct such fees and charges from the Personal Loan Amount as specified in this clause, ACSI shall gross up the Personal Loan Amount by a sum not exceeding the fees and charges so deducted, so as to ensure that the Personal Loan Amount disbursed to the not used for any illegal or unauthorized or speculative purposes.

3.2 उधारकर्ता ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित सभी फीज व शुल्क का भुगतान करेगा, जिसे ACSI द्वारा उधारकर्ता को व्यक्तिगत ऋण राशि के वितरण के समय ऋण राशि में से घटाया जा सकता है या ACSI और उधारकर्ता के बीच परस्पर सहमति के आधार पर किसी अन्य तरीके से वसूला जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ACSI इस उपनियम में निर्दिष्ट व्यक्तिगत ऋण राशि से ऐसे शुल्कों और प्रभारों को घटाना चाहता है, तो ACSI व्यक्तिगत ऋण राशि को इस तरह से घटाए गए शुल्कों और प्रभारों के बराबर ऋण राशि को बढ़ा देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता को वितरित व्यक्तिगत ऋण राशि का उपयोग किसी भी अवैध या अनधिकृत या काल्पनिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है।

The Borrower may withdraw the Loan Application and/ or otherwise choose not to borrow the Personal Loan from ACSI without payment of any cancellation charges, if such withdrawal or cancellation, as the case may be, is communicated to ACSI in writing within 7 (seven) days from the date of issue of the Loan Sanction Letter by ACSI. In case the loan amount has been disbursed, the Borrower shall be bound to refund the entire Personal Loan Amount to ACSI within 7 (seven) or any such lesser number of days remaining from the date of issue of the Loan Sanction Letter by ACSI ("Refund Period"). However, if the Personal Loan Amount is not repaid/refunded to ACSI within the Refund Period, the Borrower shall be liable to pay the cancellation charges/foreclosure charges/interest as may be intimated by ACSI.

उधारकर्ता रद्द करने का शुल्क दिए बिना ऋण आवेदन वापस ले सकता है और/या ACSI से व्यक्तिगत ऋण नहीं लेने का विकल्प चुन सकता है, अगर इस प्रकार ऋण आवेदन को वापस या रद्द किया जाता है, जो भी मामला हो, ACSI द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से 7 (सात) दिनों के अंदर लिखित में ACSI को सूचित किया जाये। ऐसे मामलों में, उधारकर्ता ACSI द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से 7 (सात) दिनों या इससे कम दिनों के अंदर ACSI को व्यक्तिगत ऋण कि पूरी राशि को वापस करने के लिए बाध्य होगा ("रिफंड अवधि")। हालांकि, अगर रिफंड अवधि के भीतर ACSI को व्यक्तिगत ऋण राशि का पुनर्भुगतान/रिफंड नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता ACSI द्वारा सूचित किए जाने वाले रद्द करने के शुल्क/ फोरक्लोजर शुल्क/ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

If the Borrower chooses to withdraw the Loan Application and/or otherwise chooses not to borrow the Personal Loan from ACSI after acceptance by the Borrower of the Loan Sanction Letter, the Borrower shall be bound to pay the cancellation charges and foreclosure charges as specified in the Loan Sanction Letter. It is clarified that the Borrower shall not be entitled to withdraw the Loan Application and/ or otherwise choose not to borrow the Personal Loan from ACSI, if such withdrawal or cancellation, as the case may be, is communicated to ACSI beyond (seven) days from the date of issue of the Loan Sanction Letter by ACSI.

अगर उधारकर्ता ऋण स्वीकृति पत्र को स्वीकार करने के बाद ऋण आवेदन वापस लेने और/या ACSI से व्यक्तिगत ऋण उधार न लेने का विकल्प चुनता है, तो उधारकर्ता ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट निराकरण शुल्क और फोरक्लोजर शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता ऋण आवेदन वापस लेने और/या ACSI से व्यक्तिगत ऋण उधार न लेने का विकल्प चुनने का हकदार नहीं होगा, अगर ऐसी वापसी या

निराकरण, जो भी मामला हो, ACSI द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से 7 (सात) दिनों के बाद ACSI को सूचित किया जाता है।

The borrower understands that time is and shall be of essence for the purposes of the Personal Loan and matters incidental thereto, including cancellation and refund of the Personal Loan Amount to ACSI and undertakes to adhere to all prescribed time lines without demur or delay. In case the Borrower does not adhere to any prescribed time lines whether in these T&C or any other documents, the same shall be construed as material breach unless the same has been permitted by ACSI. In case of such material breach, ACSI may at its discretion adopt appropriate measures to recover any amounts due from the Borrower.

उधारकर्ता यह समझता है कि व्यक्तिगत ऋण और उससे संबंधित मामलों के लिए समय एक महत्वपूर्ण तत्व है और रहेगा, जिसमें ACSI को व्यक्तिगत ऋण राशि को रद्द करना और वापस करना शामिल है और वह बिना किसी संदेह या देरी के सभी निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने का दायित्व लेता है। अगर उधारकर्ता इन नियम व शर्तों या किसी अन्य दस्तावेज़ में किसी भी निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करता है, तो इसे सारभूत उल्लंघन माना जाएगा, जब तक कि ACSI द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो। सारभूत उल्लंघन के ऐसे मामले में, ACSI अपने विवेकाधिकार से उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि को वसूलने के लिए उचित उपायों को अपना सकता है।

ARTICLE 4 REPAYMENT OF PERSONAL LOAN

अनुच्छेद 4 व्यक्तिगत ऋण का पुनर्भुगतान

The Borrower shall repay the Personal Loan Amount together with charges/ interest charged thereon by way of EMIs to be paid in monthly installments as specified in the Loan Sanction Letter or otherwise communicated to the Borrower in writing by ACSI

उधारकर्ता व्यक्तिगत ऋण राशि को शुल्क / उस पर लगाए गए ब्याज के साथ मासिक किश्तों में दिए जाने वाले ईएमआई के माध्यम से भुगतान करेगा, जैसा कि ऋण मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट है या किसी अन्य रूप में जैसा कि ACSI द्वारा उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया गया है।

The due date for payment of EM I/charges as stipulated by ACSI shall be strictly adhered to and it is understood that time shall be of essence for any payments to ACSI.

ACSI द्वारा निर्धारित ईएमआई /प्रभारों के भुगतान की नियत तिथि का सख्ती से पालन किया जाएगा और यह समझा जा चुका है कि ACSI को किये जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होगा।

ACSI shall be entitled to revise the rate of interest and/or any other charges at

any time and from time to time as per its policy and/or applicable laws and regulations, if any, during the Loan Tenure, at its discretion and such revised interest/charges shall be deemed to be applicable to the Personal Loan and the Borrower shall also be liable to pay such revised amounts as originally required unless otherwise intimated by ACSI at its sole discretion. The Borrower shall be notified in advance of any change in the rates of interest/charges and any such change shall be applicable only prospectively.

ACSI अपने अधिकार से ऋण अवधि के दौरान अपनी नीति और/या लागू कानूनों और अधिनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर और/या किसी अन्य प्रभारों को संशोधित करने का हकदार होगा और ऐसे संशोधित ब्याज/शुल्क व्यक्तिगत ऋण पर लागू माने जाएंगे और जैसा की मूल रूप से आवश्यक है उधारकर्ता पर संशोधित राशि का भुगतान करने का दायित्व होगा, जब तक कि ACSI द्वारा अपने विवेकाधिकार से अन्यथा सूचित न किया जाए। उधारकर्ता को ब्याज/प्रभारों की दरों में किसी भी बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा और ऐसा कोई भी बदलाव केवल उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा।

The EMI and any other charges shall automatically stand revised by reason of revision in any rates, taxes, charges and levies whatsoever that are or may be levied on the transaction contemplated here under or on ACSI or may become payable by ACSI by virtue of these T&C. Such increase in rates, taxes, charges

and levies as stated above shall automatically form part of the Personal Loan. The increase in such EMI/charges shall be notified to the Borrower by ACSI from time to time.

ईएमआई और कोई भी अन्य प्रभारों स्वतः किसी भी दर, कर, शुल्क और लेवी में संशोधन के कारण संशोधित हो जाएंगे चाहे जो हों या यहां ACSI पर या उसके तहत अपेक्षित लेनदेन पर लगाए गये लेवी या इन नियमों और शर्तों के आधार पर ACSI द्वारा देय हो सकते हैं। दरों, करों, प्रभारों और लेवी में इस प्रकार की वृद्धि उपरोक्त अनुसार स्वतः रूप से व्यक्तिगत ऋण का हिस्सा बन जाएंगे। ईएमआई/शुल्क में हुई इस प्रकार की वृद्धि को ACSI द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

All sums payable by the Borrower to ACSI shall be paid without any deductions whatsoever; discharge for payment will be given only on realization of the entire amount due.

उधारकर्ता द्वारा ACSI को भुगतान की जाने वाली सभी राशियों को बिना किसी कटौती के किया जाएगा; चाहे जो भो हों, भुगतान से मुक्ति तभी मिलेगी जब संपूर्ण देय राशि की वसूली हो जाएगी।

If there is any delay in payment of an EMI/ charges by the Borrower, ACSI shall be entitled to charge an over due penalty fee at a rate mentioned in Loan Sanction Letter and to recover the balance amount together with such fee.

अगर उधारकर्ता द्वारा ईएमआई/शुल्क के भुगतान में कोई देरी होती है, तो ऋण मंजूरी पत्र में उल्लिखित दर पर विलंबित जुर्माना शुल्क लगाने तथा इस प्रकार के शुल्क के साथ शेष राशि वसूलने के लिए ACSI हकदार होगा।

Notwithstanding anything contained herein, the Outstanding Dues and all other sums whatsoever payable by the Borrower to ACSI here under and/ or in connection with the Personal Loan shall be payable by the Borrower to ACSI on demand. ACSI may, at any time, in its sole discretion and without assigning any reason, call upon the Borrower to pay the Outstanding Dues and there upon the Borrower shall within fifteen (15) days (subject to the provisions of Clause 3.6) of being so called upon pay the whole of the Outstanding Dues to ACSI without any delay or demur.

इसमें लिखित किसी भी विषय के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा ACSI को और/या व्यक्तिगत ऋण के संबंध में भुगतान की जाने वाली बकाया राशि और अन्य सभी राशियाँ जो हैं, जो भी हों, उधारकर्ता से मांग की जाने पर ACSI को देय होंगी। ACSI किसी भी समय, अपने अधिकार अनुसार और बिना कोई कारण बताए, उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है और उधारकर्ता को बिना किसी देरी या संदेह के (उपनियम 3.6 के प्रावधानों के अधीन) पंद्रह (15) दिनों के अंदर ACSI को बकाया राशि का पूरा भुगतान करना होगा।

The Borrower shall not, without the approval of ACSI, be entitled to prepay the EMI or any part thereof before the expiry of Loan Tenure. ACSI may, at its discretion, give approval to the Borrower for the prepayment of any amounts due under the Personal Loan, subject to the Borrower fulfilling any terms and conditions stipulated by ACSI including payment of any charges at the time of prepayment of the Personal Loan as stated in the Loan Sanction Letter or otherwise notified by ACSI to the Borrower.

उधारकर्ता, ACSI के अनुमोदन के बिना, ऋण अवधि की समाप्ति से पहले ईएमआई या उसके किसी भाग का भुगतान को पहले करने का हकदार नहीं होगा। ACSI अपने अधिकार से, उधारकर्ता को व्यक्तिगत ऋण के तहत देय किसी भी राशि के पूर्व भुगतान के लिए अनुमोदन दे सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ACSI द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त और नियम को पूरा करे, जिसमें ऋण स्वीकृति पत्र में बताए गए अनुसार या ACSI द्वारा उधारकर्ता को अन्यथा व्यक्तिगत ऋण के पूर्व भुगतान के समय किसी भी शुल्क का भुगतान शामिल है।

ARTICLE 5 MODE OF PAYMENT

अनुच्छेद 5 भुगतान का तरीका

Payment by Post Dated Cheques

In case the repayment is to be made by way of post dated cheques (which mode of payment may be permitted by ACSI in its discretion) and the Borrower has given post dated cheques in favor of ACSI covering all or any of the amounts due to ACSI towards the Personal Loan, the Borrower here by irrevocably and unconditionally agrees and covenants:

5.1 पोस्ट डेटेड चेक द्वारा भुगतान अगर पुनर्भुगतान को पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से किया जाना है (भुगतान का तरीका ACSI अपने अधिकार से अनुमति दे सकता है) और उधारकर्ता ने ACSI के नाम में पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं, जिसमें व्यक्तिगत ऋण के लिए ACSI को देय सभी या कोई भी राशि शामिल हैं, तो उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त के सहमत होता है और प्रण देता है कि:

that each such post dated cheque shall carry the date on which the relevant EMI/charges are due;

(क) प्रत्येक पोस्ट डेटेड चेक पर वह तारीख लिखी होगी जिस तारीख को संबंधित ईएमआई/शुल्क देय है;

that the post dated cheques given by the Borrower shall be valid as from the respective dates of such cheques and that at any point of time the Borrower shall not claim that they are invalid due to any reason whatsoever;

(ख) उधारकर्ता द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक ऐसे चेक की संबंधित तारीख से वैध होंगे और किसी भी समय उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि वह चेक किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, अमान्य हैं;

that he/she/it shall ensure availability of sufficient funds in the account on which such post dated cheques have been drawn;

(ग) वह यह सुनिश्चित करेगा / करेगी कि जिस खाते के पोस्ट डेटेड चेक दिए गये हैं उस खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है;

that the Borrower shall not at any time close his/her account and/or issue any instructions to ACSI to not deposit the cheques or to the Bank to stop the payment.

(घ) उधारकर्ता किसी भी समय अपना खाता बंद नहीं करेगा/करेगी और/या ACSI को चेक जमा नहीं करने के लिए या भुगतान रोकने के लिए बैंक को कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।

the Personal Loan is on the basis of post dated cheques issued by the Borrower in favour of ACSI towards repayment of EMIs/charges payable by the Borrower to ACSI and details of the post dated cheques are more fully described in the Loan Application.

व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय ईएमआई/शुल्क के पुनर्भुगतान के लिए ACSI के नाम पर जारी किए गए पोस्ट डेटेड चेक के आधार पर है और पोस्ट डेटेड चेक के विवरण ऋण आवेदन में पूरे विस्तार से वर्णित हैं।

that any cheques issued may have to be replaced by any new form of equal number of legally valid cheques in case the same is mandated due to any RBI direction or generally due to any change in law.

यह कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक के किसी निर्देश या साधारण रूप से कानून में किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना अनिवार्य हो तो जारी किए गये चेक को समान संख्या में कानूनी रूप से वैध चेकों से बदलना होगा।

Payment by Electronic Clearing System/ Automated Clearing House:

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली / स्वचालित क्लियरिंग हाउस द्वारा भुगतान:

In case the payment of EM I/charges are to be made by way of Electronic Clearing System (E.C.S) mandate or Automated Clearing House(ACH) mandate in favor of ACSI covering all or any of the amounts due to ACSI towards the Personal Loan, the Borrower hereby irrevocably and unconditionally agrees and covenants that:

अगर ACSI को ईएमआई/प्रभारों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली (E.C.S) मैनेट या ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (ACH) मैनेट के माध्यम से किया जाना है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण के लिए ACSI को देय सभी या कोई भी राशि शामिल है, अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त के सहमत होता है और प्रण देता है कि:

The E.C.S./ACH mandate given, at or before the execution of these T&C, will be valid as on the date of the E.C.S./ACH mandate and at

any point of time the Borrower shall not claim that they are invalid due to any reason whatsoever;

इन नियमों और शर्तों के क्रियान्वयन के समय या उससे पहले दिया गया ई.सी.एस./एसीएच मैनेट ई.सी.एस./एसीएच आदेश की तारीख पर वैध होगा और किसी भी समय उधारकर्ता किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, यह दावा नहीं करेगा कि वे अमान्य हैं;

the Borrower further confirms that he/she/it shall ensure availability of sufficient funds in the account on which such E.C.S./ACH mandate has been drawn and the Borrower shall not at any time close his/her/its account or instruct his/her/its Bank to stop payment on any of such E.C.S./ACH mandates and/or withdraw or change such mandate without prior intimation to ACSI;

उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा/ करेगी कि जिस खाते पर ऐसा ई.सी.एस./एसीएच मैनेट बनाया गया है, उसमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और उधारकर्ता किसी भी समय अपना खाता बंद नहीं करेगा / करेगी या अपने बैंक को ऐसे किसी ई.सी.एस./एसीएच मैनेट पर भुगतान को रोकने का निर्देश नहीं देगा /देगी और/या ACSI को पूर्व सूचना दिए बिना ऐसे मैनेट को वापस नहीं लेगा / लेगी या बदलेगा / बदलेगी;

where the funds in the relevant bank account are not sufficient to honour the ECS/ACH mandate as per its terms, the Borrower shall not object to ACSI presenting such ECS/ACH mandate all over again for recovery of any amount due and payable here under;

जहां नियम व शर्तों के अनुसार ईसीएस/एसीएच मैनेट को पूरा करने के लिए संबंधित बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, उधारकर्ता ACSI द्वारा किसी भी देय और देय राशि की वसूली के लिए ऐसे ईसीएस/एसीएच मैनेट को फिर से प्रस्तुत करने पर आपत्ति नहीं जताएगा;

that the Personal Loan has been made available by ACSI on the basis of E.C.S./ACH mandate issued by the Borrower in favour of ACSI towards repayment of EMI/charges payable by the Borrower to ACSI and details of the E.C.S./ACH mandate are more fully described in Loan Application;

यह कि उधारकर्ता द्वारा जारी किए गये ई.सी.एस./एसीएच मैनेट के आधार पर ACSI ने व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराया है और यह कि उधारकर्ता द्वारा ACSI को ईएमआई/प्रभारों का पुनर्भुगतान देय है जिसके विवरण ऋण आवेदन में अधिक विस्तृत रूप से वर्णित हैं;

that in case the Borrower changes/desires to change his/her Bank, the Borrower shall be entitled to replace the E.C.S./ACH mandate and issue fresh E.C.S./ACH mandates for the new Bank only on payment of swapping charges to ACSI at the rates specified in the Loan Sanction Letter or otherwise communicated to the Borrower by ACSI.

यह कि अगर उधारकर्ता अपना बैंक बदलता है/बदलना चाहता/चाहती है, तो सिर्फ ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट दरों पर या ACSI द्वारा उधारकर्ता को अन्यथा सूचित की गई दरों पर ACSI को स्विपिंग प्रभारों का भुगतान करने पर ही उधारकर्ता ई.सी.एस./एसीएच मैनेट को बदलकर नए बैंक के लिए नए ई.सी.एस./एसीएच आदेश जारी करने का हकदार होगा।

Online Payment/Payment by Cash Deposit

ऑनलाइन भुगतान/नकद भुगतान

In case the repayment is to be made by way of cash or online, the Borrower shall deposit the amount at the counter of the Authorised Bank and / or retain an adequate online cash balance including all relevant charges(which shall be borne solely by the Borrower) with the Authorised Bank (where payment is being made online or through a mobile application) and/or at the ACSI Location payment counter in manner stipulated by ACSI.

अगर नकद या ऑनलाइन तरीके से पुनर्भुगतान किया जाना है, तो उधारकर्ता को अधिकृत बैंक के काउंटर पर राशि जमा करनी होगी और/या सभी उपयुक्त शुल्कों (जो केवल उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा) सहित ऑनलाइन तरीके में अधिकृत बैंक के पास (जहां भुगतान ऑनलाइन या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है) पर्याप्त नकद जमा रखना होगा और/या ACSI द्वारा निर्धारित तरीके से ACSI के भुगतान काउंटर पर।

Any dispute or difference of any nature whatsoever shall not entitle the Borrower to withhold or delay payment of any EMIs or other sums due and payable to ACSI; and ACSI shall be entitled to present the post dated cheques/ E.C.S./ACHM an dates/any other electronic or other clearing mandate to the Bank on the respective due date.

किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, चाहे जो भी हो, उधारकर्ता को किसी भी ई.एम.आई. या ए.सी.एस.आई. को रोकने या विलंब करने का अधिकार नहीं देगा; और ACSI संबंधित भुगतान तिथि पर बैंक को पोस्ट डेटेड चेक/ई.सी.एस./ए.सी.एच.एम. और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैन्डेट को प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

Upon the Borrower paying to ACSI all the EMIs /charges on the due dates as specified in the Loan Application and also upon paying to ACSI all other sums, payable by the Borrower to ACSI under the terms agreed between the Borrower and ACSI, the Personal Loan shall come to an end.

ऋण आवेदन में निर्दिष्ट नियत तारीखों पर उधारकर्ता द्वारा ACSI को सभी EMI /प्रभारों का भुगतान करने पर और ACSI और उधारकर्ता के बीच शर्तों की सहमति के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय सभी अन्य राशियों का भुगतान करने पर व्यक्तिगत ऋण समाप्त हो जाएगा।

ARTICLE 6 BORROWER'S REPRESENTATIONS AND COVENANTS

अनुच्छेद 6 उधारकर्ता का प्राथिनित्व और अनुबंध

The Borrower represents and warrants to ACSI as under:

उधारकर्ता ACSI के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

The Borrower is an individual competent to contract under the Indian Contract Act, 1872;

उधारकर्ता भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति है/हैं;

All declarations provided by the Borrower in relation to the Personal Loan availed by the Borrower, are true and accurate in all respects;

उधारकर्ता द्वारा लिए गये ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी घोषणाएं सभी मामलों में सत्य और सटीक हैं;

the Borrower is fully empowered to avail the Personal Loan and agrees to adhere to the Loan Sanction Letter, these T&Cs and to perform the obligations contained herein. The Loan Application Form, these T&Cs have been duly executed and delivered by the Borrower as may be required, and once the Personal Loan is disbursed by ACSI, the Loan Application Form, Loan Sanction Letter together with these T&Cs constitute a legal, valid and binding obligations of the Borrower enforceable against him/her/them in accordance therewith;

उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और ऋण स्वीकृति पत्र, इन नियमों और शर्तों का पालन करने और इसमें निहित दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत है। ऋण आवेदन पत्र और इस अनुबंध को उधारकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित और वितरित किया गया है, जैसा कि अपेक्षित हो सकता है, और जब ऋण ACSI द्वारा एक बार वितरित कर दिया जाता है तो ऋण आवेदन पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र इस अनुबंध के साथ उधारकर्ता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करते हैं, जो उसके / उनके विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं;

all information provided by the Borrower to ACSI in the Loan Application or otherwise howsoever in relation to the Personal Loan, is true, correct, accurate and complete in all respects and is not misleading in letter or spirit, whether by reason of omission to state a material fact or otherwise;

ऋण आवेदन में या अन्यथा ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ACSI को प्रदान की गई सभी जानकारी सभी मामलों में सत्य, सटीक और पूर्ण है और यह पत्र या भवना में भ्रामक नहीं है, चाहे किसी भौतिक तथ्य को बताने में चूक के कारण हो या अन्यथा;

no proceedings have been initiated or events occurred in connection with insolvency, bankruptcy, protection against creditors or as a relief undertaking or other similar matters in relation to the Borrower, and there is no order for the appointment of a receiver, administrator or other similar person or authority in relation to the business, undertaking or assets of the Borrower.

ऋणकर्ता के संबंध में दिवाला, दिवालियापन, लेनदारों के खिलाफ सुरक्षा या राहत उपक्रम या अन्य समान मामलों के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या घटनाएं नहीं हुई हैं, और उधारकर्ता के व्यवसाय, उपक्रम या परिसंपत्तियों के संबंध में प्राप्तकर्ता, प्रशासक या अन्य समान व्यक्ति या प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए कोई आदेश नहीं है।

The Borrower hereby acknowledges, agrees, undertakes and covenants as under

उधारकर्ता इस प्रकार अपनी सहमति, स्वीकृति, वचनबद्धता और प्रतिज्ञा देता है कि

the Borrower shall ensure timely payment of the EMI/charges to ACSI and ensure that the post dated cheques/E.C.S./ACH Mandate/ any other electronic or other clearing mandate issued towards payment of the EMI/ charges are honoured on presentation;

उधारकर्ता को ACSI को ईएमआई/प्रभारों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान के लिए जारी किए गये पोस्ट डेटेड चेक/एसीएच मैन्डेट /कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैन्डेट जिन्हें ईएमआई/प्रभारों के भुगतान के लिए जारी किया गया है, उनको प्रस्तुत किया जाने पर भुगतान किया जाएगा।

on the date of payment of the EMI or any other sums payable hereunder, the Borrower shall ensure that bank account has been debited towards the EMI or relevant sum, as the case may be, and in case of his/her/its account has not been so debited, the Borrower shall be obliged to inform ACSI in this regard within 3 (three) days from the due date of such EMI /charges;

भुगतान की तारीख पर ईएमआई या कोई अन्य देय भुगतान पर उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाते में से ईएमआई या उपयुक्त राशि डेबिट हो चुका है, जैसा भी मामला हो, और किसी भी कारणवश उसका/उनका खाता डेबिट नहीं हुआ है तो उधारकर्ता इस संबंध में ईएमआई की देय तारीख से 3 (तीन) दिनों के अंदर ACSI को सूचित करने पर बाध्य होगा;

the Borrower shall pay and bear all taxes, rates, duties, charges and other imposts and obligations, existing as well as in future, in respect of the Personal Loan;

उधारकर्ता को व्यक्तिगत ऋण के संबंध में सभी करों, दरों, शुल्कों, प्रभारों और महसूल, दायित्वों का भुगतान और वहन करना होगा, जो वर्तमान में और भविष्य में भी लागू रहेंगे;

the Borrower shall do all such things and execute all such writings as ACSI may require from time to time for duly or more perfectly securing the repayment of the Personal Loan;

उधारकर्ता ऐसे सभी कार्य करेगा और ऐसे सभी लेखन को निष्पादित करेगा जैसा कि ACSI समय-समय पर व्यक्तिगत ऋण के भुगतान को विधिवत या ज्यादा सही तरीके से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है;

To the Borrower by ACSI;

the Borrower shall have no right to terminate the Loan Sanction Letter or these T&Cs save and except by payment, in full, of all moneys payable under these T&Cs and any other applicable conditions to ACSI;

उधारकर्ता को ऋण स्वीकृति पत्र या इन नियम व शर्तों को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह इन नियम व शर्तों और ACSI को किसी भी अन्य लागू शर्तों के तहत देय सभी धनराशियों का पूर्ण भुगतान करे;

the Borrower acknowledges that the rate of interest, penal charges, service charges prepayment charges and other charges payable and/or agreed to be paid by the Borrower under these T&Cs are reasonable and acceptable to him;

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, सेवा शुल्क, पुनर्भुगतान शुल्क और अन्य शुल्क जो इन नियम व शर्तों के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और/या भुगतान करने के लिए सहमत हैं, और वह उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं;

the Borrower shall, as and when required to do so by ACSI, provide ACSI with the updated Know Your Client ("KYC") documents. The Borrower shall provide accurate details and access to ACSI over digital platforms such as mobile applications, website etc. of ACSI

to enable ACSI to conduct necessary KYC and other eligibility verifications. The Borrower shall provide valid email ID and telephone/mobile number to ACSI and keep ACSI updated about any change in such particulars. In the event of failure on part of the Borrower to update the records with ACSI, any communication sent to or received from the last updated email ID or telephone/mobile number shall be construed as valid and sufficient communication.

उधारकर्ता को, जब भी ACSI द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, ACSI को अपडेटेड नो योर क्लाइंट ("KYC") दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उधारकर्ता को ACSI के मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सटीक विवरण और ACSI तक पहुंच प्रदान करनी होगी ताकि ACSI आवश्यक KYC और अन्य पात्रता सत्यापन कर सके। उधारकर्ता ACSI को वैध ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर प्रदान करेगा और ऐसे विवरणों में किसी भी बदलाव के बारे में ACSI को सूचित करेगा। अगर उधारकर्ता ACSI को अपने रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराता है तो उस स्थिति में, अंतिम अपडेट की गई ईमेल आईडी या टेलीफोन/मोबाइल नंबर से भेजा या प्राप्त किया गया कोई भी संदेश वैध और पर्याप्त संदेश माना जाएगा।

ARTICLE 7 SECURITY

अनुच्छेद 7 सुरक्षा

ACSI shall retain discretion for demanding absolute, unconditional, irrevocable, joint and several guarantee from third parties nominated by the Borrower towards all obligations of the Borrower to ACSI.

ACSI के पास ACSI के प्रति उधारकर्ता के सभी दायित्वों के लिए उधारकर्ता द्वारा नामित तीसरे पक्ष से पूर्ण, बिना शर्त के, अपरिवर्तनीय, संयुक्त और कई गारंटी मांगने का अधिकार होगा।

The Borrower shall also execute a Demand Promissory Note and/or a letter of continuity, in the format prescribed which shall be treated as part & parcel of the terms entered into between the Borrower and ACSI. Although the Borrower(s) has / have given Demand Promissory Note, in case of default, the Borrower shall be liable to repay to ACSI the Personal Loan Amount together with interest at the rates mentioned in Loan Sanction Letter (or in any other form as notified by ACSI) from the date of default till the date of recovery of the same by ACSI. It is clarified that where there are more Borrowers than one, each one of them shall be jointly and severally liable on the Demand Promissory Note.

उधारकर्ता एक निर्धारित प्रारूप में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट और/या निरंतरता पत्र भी निष्पादित करेगा जिसे उधारकर्ता और ACSI के बीच दर्ज नियम व शर्तों का अभिन्न अंग माना जाएगा। हालांकि उधारकर्ता ने डिमांड प्रॉमिसरी नोट दिया है, लेकिन अप्राप्ति की स्थिति में, उधारकर्ता ACSI को व्यक्तिगत ऋण राशि को ऋण स्वीकृति पत्र (या ACSI द्वारा अधिसूचित किसी अन्य फॉर्म में) में उल्लिखित दरों पर ब्याज के साथ अप्राप्ति की तारीख से ACSI द्वारा उसकी वसूली की तारीख तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ एक से अधिक उधारकर्ता हैं, उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से डिमांड प्रॉमिसरी नोट के लिए उत्तरदायी होगा।

In case of death of the Borrower, the Promissory Note given by a Borrower will be invoked against his/her/its legal heir/s, successor/s to the estate coming in their hands.

उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उधारकर्ता द्वारा दिये गये प्रॉमिसरी नोट को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों, वारिसों के हाथों में आने वाली संपत्ति के खिलाफ आह्वान किया जाएगा।

ARTICLE 8 EVENTS OF DEFAULT:

अनुच्छेद 8 अप्राप्ति के मामले में:

Each of the following events is and shall be deemed to constitute, an "Event of Default":

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना एक "अप्राप्ति की घटना" मानी जाएगी:

if the Borrower commits a breach of the terms contained herein, the Loan Documentation or any other terms specified in this regard whether in physical or electronic form, including but not limited to default or delay in the payment of any EMI or other amounts outstanding in respect of any facility as and when they become payable, material breach of the representations and warranties of the Borrower referred to in Article 6 above;

यदि उधारकर्ता इसमें निहित शर्तों, ऋण के दस्तावेज या इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, चाहे वह भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, जिसमें किसी भी ईएमआई या किसी भी सुविधा के संबंध में बकाया अन्य राशि के भुगतान में अप्राप्ति या देरी शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है, और जब वे देय हो जाते हैं, तो ऊपर अनुच्छेद 6 में बताए गये संदर्भ में उधारकर्ता के प्रस्तुतीकरण और वारंटियों का सारभूत उल्लंघन होता है;

if there is a reasonable apprehension that the Borrower is unable to pay his/her/its debts or the Borrower has admitted its inability to pay his/ her/ its debts, as they become payable; if the Borrower suffers any adverse material change in his/her/its financial position; or if the Borrower has voluntarily or compulsorily become the subject of proceedings under any bankruptcy or insolvency law or under any other law providing protection as a relief undertaking;

यदि इस बात की उचित आशंका है कि उधारकर्ता अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या उधारकर्ता ने अपने ऋणों का भुगतान करने में अपनी असमर्थता जताई है, क्योंकि वे देय हो गये हैं; अगर उधारकर्ता के वित्तीय स्थिति में कोई प्रतिकूल सारभूत बदलाव होता है; या अगर उधारकर्ता स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से किसी दिवालियापन या दिवाला के कारण कानून के तहत या राहत उपक्रम के रूप में सुरक्षा प्रदान करने वाले किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाता है;

on the death/lunacy or other disability of the Borrower;

उधारकर्ता की मृत्यु/पागलपन या अन्य विकलांगता पर;

if there is any commencement of a legal process against the Borrower under any law in force or, in the opinion of ACSI, the Borrower has committed, assisted, abetted a crime/fraud and/ or is likely to evade/violate or assist or abet violation/evasion of any laws, rules, regulations, directions of a lawful authority whether Indian or foreign or if ACSI so apprehends;

अगर उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है या, ACSI की राय में, उधारकर्ता ने कोई अपराध/धोखाधड़ी की है, उसमें सहायक बना/बनी है, उसे बढ़ावा दिया है और/या किसी भी कानून, नियम, अधिनियम, किसी वैध प्राधिकारी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, के निर्देशों का उल्लंघन/चोरी करने या उल्लंघन में सहायता या बढ़ावा देने की संभावना है या अगर ACSI को ऐसी आशंका है;

if there exists any other circumstance, which in the sole opinion of ACSI is prejudicial to the interest of ACSI or the security of ACSI;

अगर कोई अन्य परिस्थिति है, जो एकमात्र ACSI की राय में ACSI के हित या ACSI की सुरक्षा के लिए हानिकारक है;

It is clarified that where there is a guarantor, the occurrence of any of the aforesaid events in respect of either the Borrowers or the guarantor shall be an Event of Default in respect of all of them and the provisions of Article 9 shall be applicable.

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ कोई गारंटर है, उधारकर्ताओं या गारंटर के संबंध में उपर्युक्त घटनाओं में से कोई एक घट जाए तो उन सभी के संबंध में अप्राप्ति की घटना मानी जाएगी और अनुच्छेद 9 के प्रावधान लागू होंगे।

ARTICLE 9: CONSEQUENCE OF DEFAULT AND REMEDIES

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना एक "अप्राप्ति की घटना" मानी जाएगी:

Upon the occurrence of an Event of Default, the Outstanding Dues shall forthwith become payable to ACSI.

अप्राप्ति की घटना घटने पर, बकाया राशि तुरन्त ACSI को देय हो जाएगी।

Without prejudice to the foregoing and in addition thereto, ACSI shall be entitled to encash the post dated cheques referred to herein above, and to enforce the Demand Promissory Note until all Outstanding Dues are fully paid up.

आगे जो कुछ होगा, उसके प्रति पूर्वग्रह के बिना और इसके अतिरिक्त, ACSI को ऊपर लिखित तारीख युक्त चेकों को भुनाने तथा सभी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान होने तक डिमांड प्रॉमिसरी नोट को लागू करने का अधिकार होगा।

ACSI shall be entitled to appoint and authorize Recovery Agents to assist ACSI

in the enforcement of security and collection of the Outstanding Dues from the Borrower.

ACSI को उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली और सुरक्षा लागू करने में ACSI की सहायता के लिए वसूली अधिकर्ता को नियुक्त करने और अधिकृत करने का अधिकार होगा।

The following are without prejudice to other rights and remedies of ACSI under law or in equity:

in case of delay in payment of EMI/charges or dishonor of the cheques/ECS/ACH Mandate/any other electronic or other clearing mandate, ACSI shall be entitled to recover overdue penalty fees at the rates set out in the Loan Sanction Letter; and

निम्नलिखित एसीएस के कानून या इक्विटी के तहत अन्य अधिकारों और उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे:

ईएमआई/शुल्क के भुगतान में देरी या चेक/ईसीएस/एसीएच मैन्डेट/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैन्डेट के द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं होने के मामले में, ACSI ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित दरों पर बकाया जुर्माना वसूलने का हकदार होगा; और

In case of default by reason of the cheques/ECS/ACHM an date/any other electronic or other clearing mandate being dishonoured, ACSI shall be entitled to initiate legal proceedings under Negotiable Instruments Act, 1888 and Payment and Settlement System Act, 2007.

चेक/ईसीएस/एसीएचएम, तारीख/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैन्डेट के द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान की प्राप्ति न होने की स्थिति में, ACSI परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1888 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।

ACSI shall also be entitled to take recourse to other legal remedies under any other law which may be enacted or in force to protect the interest of lenders.

ACSI को उधार देने वालों के हितों की रक्षा के लिए जो लागू हैं या लागू किए जा सकते हैं ऐसे किसी अन्य कानून के तहत कानूनी उपायों का सहारा लेने का भी अधिकार होगा।

ARTICLE 10 MISCELLANEOUS

अनुच्छेद 10 विविध

10.1 Electronic Record

The entire process from the Loan Application until closure of the Personal Loan account and repayment of the Personal Loan and all other related charges shall be online via the internet or through the use of mobile applications with all documentation and communication being generated/communicated/retained as Electronic Records. Unless ACSI specifically requires documentation to be

Any statement of account furnished by ACSI regarding the balance amount due and payable by the Borrower shall be accepted by and be binding on the Borrower and shall be conclusive proof of the correctness of the amount mentioned therein. Without prejudice to what is stated above, if the Borrower desires to question any statement or any pan thereof, the Borrower shall furnish ACSI full details of the same within 15 (fifteen) days of the receipt of the statement by the Borrower, and ACSI may consider the same in accordance with its internal grievance redressal policy. It is, however, clarified that the Borrower shall not be entitled to default or delay the payment of the EMI/charges on the ground of the statement of account furnished by ACSI being inaccurate or on any other ground.

ऋण आवेदन से लेकर व्यक्तिगत ऋण खाता बंद होने और व्यक्तिगत ऋण के भुगतान और अन्य सभी संबंधित प्रभावों तक की पूरी प्रक्रिया इंटरनेट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिसमें सभी दस्तावेज और सूचना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में तैयार/संप्रेषित/सुरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि ACSI को विशेष रूप से दस्तावेजीकरण की आवश्यकता न हो

ACSI को उधारकर्ता के द्वारा किसी भी भौतिक दस्तावेज को

निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उधारकर्ता द्वारा देय और भुगतान योग्य शेष राशि के बारे में ACSI द्वारा प्रदान किया गया कोई भी खाता विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा और उसमें लिखित राशि की सत्यता का निगमित सबूत होगा। ऊपर जो भी बताया गया है उस पर पूर्वग्रह के बिना, यदि उधारकर्ता किसी भी विवरण या उसके किसी भी पैर पर सवाल उठाना चाहता है, तो उधारकर्ता को विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर ACSI को इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा, और ACSI इसे अपने आंतरिक शिकायत निवारण नीति के अनुसार विश्लेषण कर सकता है, हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता को ACSI द्वारा प्रस्तुत लेखा विवरण में गलती होने या किसी अन्य आधार पर ईएमआई/प्रभावों के भुगतान में चूक करने या विलंब करने का अधिकार नहीं होगा।

Change in T&C

ACSI shall give notice to the Borrower of any change in the T&Cs including amount of EMI/charges, interest rates, service charges, prepayment charges etc. and such changes in interest rates and other charges shall be effective prospectively. The Borrower shall be bound by the aforesaid change once notified and shall not dispute the same. The Borrower acknowledges that ACSI may, from time to time, modify the rate of interest payable by the Borrower by notice to the Borrower as may have been agreed or by posting the change on its website or by intimating the same as an Electronic Record. The Borrower hereby agrees that it will keep himself/ herself/ itself abreast and updated by verifying the website of ACSI or promptly reviewing notifications sent as Electronic Records or physical documents about all the changes and amendments to the interest rate/charges made by ACSI from time to time.

नियम एवं शर्तों में परिवर्तन

ACSI उधारकर्ता को ईएमआई/शुल्क, ब्याज दरें, सेवा शुल्क, पूर्वभुगतान शुल्क आदि की राशि सहित नियम एवं शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा तथा ब्याज दरों और अन्य प्रभावों में ऐसे परिवर्तन उत्तरव्यापी प्रभाव से असर करेंगे। उधारकर्ता उपरोक्त परिवर्तन को अधिसूचित होने के पश्चात मानने के लिए बाध्य होगा तथा उस पर विवाद नहीं करेगा। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ACSI समय-समय पर उधारकर्ता को सूचना देकर या अपनी वेबसाइट पर इस परिवर्तन पोस्ट करके या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में इसकी सूचना देकर उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर में संशोधन कर सकता है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह ACSI की वेबसाइट का सत्यापन करके या समय-समय पर ACSI द्वारा ब्याज दर/शुल्क में किए गए सभी परिवर्तनों और संशोधनों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या भौतिक दस्तावेजों के रूप में भेजी गई अधिसूचनाओं की तुरंत समीक्षा करके खुद को अपडेट रखेगा।

Assignment of rights

The Borrower shall not be entitled to assign its rights and obligations under these T&Cs save and except with the prior written consent of ACSI. The Borrower shall not transfer, alienate or otherwise deal with the Personal Loan Amount in any manner whatsoever except for his use or otherwise as contemplated in these T&Cs and/ or the Loan Sanction Letter.

अधिकारों का हस्तांतरण

उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को ACSI की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा। उधारकर्ता व्यक्तिगत ऋण राशि को किसी भी तरह से हस्तांतरित, पृथक नहीं करेगा या इन नियमों और शर्तों और/या ऋण स्वीकृति पत्र में जैसा लिखा गया है व्यक्तिगत ऋण राशि को अन्यथा या अपने उपयोग के अलावा किसी दूसरे तरीके से उपयोग नहीं करेगा।

Credit Verification

ACSI shall be entitled to conduct background checks and credit verifications in respect of the Borrower from time to time to ensure the credit worthiness of the Borrower. Upon

acceptance of these T & C whether in physical or electronic form, the Borrower shall be construed to have given his/her/its consent to ACSI to access/utilize the data provided by the Borrower in the course of the use of the internet/mobile application.

क्रेडिट सत्यापन

ACSI उधारकर्ता की क्रेडिट पात्रता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उधारकर्ता की परिस्थितियों की जांच और क्रेडिट सत्यापन करने का हकदार होगा। इन नियमों और शर्तों को चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने पर, उधारकर्ता को इंटरनेट/मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग के दौरान यह माना जाएगा कि उधारकर्ता ने प्रदान किए गए डाटा तक पहुंचने/उपयोग करने के लिए ACSI को अपनी सहमति दी है।

10.6 Disclosure

10.6 खुलासा

- (a) Subject to provisions of clause (b) below, ACSI hereby undertakes to maintain details of the Borrower as mentioned in any Electronic Record cum KYC Fann or any other information pertaining to the Borrower in confidence and, save and except with the prior consent of the Borrower, it shall not, disclose the same to any person, except as otherwise provided in these T&C.
- (क) नीचे दिए गए उपनियम (ख) के प्रावधानों के अधीन, ACSI किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सह KYC फॉर्म या उधारकर्ता से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी में दिए गये उधारकर्ता के विवरण को गोपनीय रूप से बनाए रखने का वचन देता है और उधारकर्ता की पूर्व सहमति के बिना, जब तक कि इन नियमों और शर्तों में कोई अन्य प्रावधान के अलावा, इसे किसी भी व्यक्ति को खुलासा नहीं करेगा।
- (b) The Borrower consents/agrees that ACSI shall be entitled to disclose the information and other details relating to the Borrower available with ACSI in a confidential manner, in the following circumstances:
- (ख) उधारकर्ता यह स्वीकृति देता है / सहमत है कि ACSI निम्नलिखित परिस्थितियों में गोपनीय तरीके से ACSI के पास उपलब्ध उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और अन्य विवरणों का खुलासा करने का हकदार होगा:
- (i) Disclosure to any court, tribunal or regulatory or governmental authority under law,
- (ii) Without prejudice to the generality of (i) above, disclosure to the Reserve Bank of India under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 or the rules, regulations circulars and notifications issued thereunder;
- (iii) Disclosure to enable ACSI to conduct a credit verification process of the

Borrower as specified in clause 10.4 above;

- (iv) Disclosures to group companies or affiliates of ACSI or to third-party contractors or vendors appointed by ACSI from time to time for record keeping purposes and/ or for keeping the Borrower informed about various schemes and products of such companies or affiliates and/ or third-party contractors or vendors;
- (v) Disclosures as may be legally permitted, to any third parties with whom ACSI has/may have commercial tie-ups; and
- (vi) Disclosures to the Credit Information Bureau (India) Limited ("CIBIL") and/or any other credit information bureau and/or agency authorised in this behalf by the RBI.
- (i) कानून के तहत किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या नियामक या सरकारी प्राधिकरण को किया जाने वाला खुलासा, (ii) उपरोक्त (i) की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 या उसके तहत जारी नियमों, विनियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाने वाला खुलासा; (iii) ऊपर उपनियम 10.4 में बताए गये अनुसार उधारकर्ता की क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए ACSI को सक्षम बनाने के लिए किया जाने वाला खुलासा;

- (iv) ACSI की समूह कंपनियों या सहयोगियों या रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से और/या उधारकर्ता को ऐसी कंपनियों या सहयोगियों और/या तीसरे पक्ष के ठेकेदारों या विक्रेताओं की विभिन्न योजनाओं और उत्पादों के बारे में सूचित रखने के लिए ACSI द्वारा समय-समय पर नियुक्त तीसरे पक्ष के ठेकेदारों या विक्रेताओं को किया जाने वाला खुलासा;
- (v) कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त किसी भी तीसरे पक्ष को किया जाने वाला खुलासा, जिसके साथ ACSI का वाणिज्यिक गठजोड़ है/हो सकता है; और
- (vi) क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("CIBIL") और/या RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य क्रेडिट सूचना ब्यूरो और/या एजेंसी को किया जाने वाला खुलासा।
- (c) The Borrower shall not hold ACSI responsible for sharing and/or disclosing the information/Electronic Record now or in the future and also for any consequences suffered by the Borrower and/or others by reason thereof. The provisions of this Clause shall survive even after the term/termination of agreement between ACSI and the Borrower and the repayment of the Borrower's dues by the Borrower.
- (c) उधारकर्ता ACSI को भविष्य में सूचना/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साझा करने और/या खुलासा करने और इसके कारण उधारकर्ता और/या अन्य लोगों द्वारा भुगते जाने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस उपनियम के प्रावधान ACSI और उधारकर्ता के बीच समझौते की अवधि/समाप्ति और उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी लागू रहेंगे।

10.7 Insurance/Loan Protection Plan

The Borrower hereby understands and authorizes ACSI to share his/her data including Electronic Records with ACSI's group companies, affiliates and/or any third party insurance/loan protection plan provider, as may be legally permitted. Such insurance/loan protection plan provider may separately approach the Borrower for offering their products which the Borrower shall be entitled to avail of at his/her/its own discretion.

10.7 बीमा/ऋण सुरक्षा योजना

उधारकर्ता यह समझता है और ACSI को अपने डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित ACSI की समूह कंपनियों, सहयोगियों और/या किसी तीसरे पक्ष के बीमा/ऋण सुरक्षा योजना प्रदाता के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि कानूनी रूप से इसकी अनुमति दी जा सकती है। ऐसे बीमा/ऋण सुरक्षा योजना प्रदाता अपने उत्पादों की पेशकश के लिए उधारकर्ता से अलग से संपर्क कर सकते हैं, जिसका वह अपने अधिकार से लाभ उठाने का हकदार होगा।

10.8 Notice

10.8 नोटिस

- (a) Any notice or other communication to be given by ACSI to the Borrower under or in connection with the Personal Loan shall be deemed duly served if (A) delivered personally, or (B) sent by confirmed facsimile transmission, or (C) by prepaid registered post, or (D) email, or (E) by telephone (including SMS) to the Borrower at the address/ number, of the Borrower set out in the Loan Sanction Letter. The Borrower further agrees that ACSI shall have the right to record telephonic communications with the Borrower to maintain a record and evidence of such communications and notices. Documents which are sent by electronic delivery may be in the form of an email attachment.
- (ए) ACSI द्वारा ऋणदाता को व्यक्तिगत ऋण के तहत या उसके संबंध में दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अन्य सूचना विधिवत सेवा माना जाएगा अगर (ए) व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाता है, या (बी) सीमित फैक्स संचारण द्वारा भेजा जाता है, या (सी) प्रीपेड पंजीकृत डाक द्वारा,

या (डी) ईमेल, या (ई) टेलीफोन (एसएमएस सहित) द्वारा उधारकर्ता को ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित उधारकर्ता के पते/नंबर पर भेजा जाता है। उधारकर्ता आगे इस बात पर भी सहमत है कि ACSI को ऐसी सूचना और नोटिस का रिकॉर्ड और साक्ष्य बनाए रखने के लिए उधारकर्ता के साथ टेलीफोन पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड करने का अधिकार होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेज़ ईमेल अटैचमेंट के रूप में हो सकते हैं।

- (b) Any notice or other communication to be given by the Borrower to ACSI under or in connection with the Personal Loan shall be deemed duly served if (A) delivered personally, or (B) sent by confirmed facsimile transmission, or (C) by prepaid registered post, or (D) email to ACSI at the email address set out in the

a transmission report; © in the case of delivery by the post office, after 3 (three) days of dispatch; (D) in the case of delivery as an Electronic Record, upon such Electronic Record having been duly dispatched in electronic form; and it is clarified that in the case of notice by a telephonic communication, a notice recorded on the answering machine of the recipient at the telephone number provided, shall be deemed to be valid notice. The Borrower understands and agrees to assume the entire risk of non-delivery by reason of any electronic error or otherwise. The records of ACSI in relation to any notice or communication will be final and binding on the Borrower.

- (बी) व्यक्तिगत ऋण के तहत या उसके संबंध में उधारकर्ता द्वारा ACSI को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अन्य सूचना विधिवत सेवा माना जाएगा अगर (ए) व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाता है, या (बी) पुष्टि किया गया फैक्स संचारण द्वारा भेजा जाता है, या (सी) प्रीपेड पंजीकृत डाक द्वारा, या (डी) संचारण रिपोर्ट में दिए गए ईमेल पते पर ACSI को ईमेल किया जाता है; (सी) डाकघर द्वारा डिलीवरी के मामले में, प्रेषण के 3 (तीन) दिनों के बाद; (डी) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में डिलीवरी के मामले में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फोन में विधिवत रूप से प्रेषित किया गया है; और यह स्पष्ट किया जाता है कि टेलीफोन सूचना द्वारा नोटिस के मामले में, प्राप्तकर्ता की उत्तर देने वाली मशीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर पर दर्ज की गई सूचना को वैध नोटिस माना जाएगा। उधारकर्ता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या अन्यथा के कारण गैर-डिलीवरी के पूरे जोखिम को समझता है और सहमत है। किसी भी नोटिस या सूचना के संबंध में ACSI के रिकॉर्ड अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगे।

- (d) ACSI shall be deemed to have fulfilled any legal obligation to deliver to the Borrower any such document if sent via electronic delivery. The Borrower understands that it is his/her/its responsibility to review, upon first receipt, whether delivered to the Borrower, as the case may be, by mail, email (including any auto replies from the system of the lender) or other electronic means, all confirmation, statements, notices or any other communication or information. All information contained therein shall be binding upon the Borrower, if the Borrower does not object either in writing, within 24 hours after any such electronic document is sent to the Borrower, the same shall be deemed to be correct and binding on the Borrower. However, ACSI reserves the right, in its absolute discretion, to determine the validity of the Borrowers' objection to the transactions even though such objection is received within 24 hours. The Borrower agrees that ACSI will not be responsible for non-receipt of electronic documents sent via electronic delivery due to change in email address of the Borrower which remains un-intimated to ACSI in terms of Article 6.2(i).

- (डी) यदि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से कोई दस्तावेज़ भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि ACSI ने उधारकर्ता तक इसे पहुंचाने के लिए किसी भी कानूनी दायित्व को पूरा किया है। उधारकर्ता समझता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह पहली बार सूचना को प्राप्त करने के बाद, चाहे उधारकर्ता को, जैसा भी मामला हो, मेल, ईमेल (ऋण देने वाली कंपनी की प्रणाली से किसी भी स्वचालित उत्तर सहित) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सभी तरह की पुष्टि, वक्तव्य, नोटिस या किसी अन्य सूचना या जानकारी के माध्यम से

वितरित किया गया हो। उनमें निहित सभी सूचनाएं उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी, यदि उधारकर्ता किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को उधारकर्ता को भेजे जाने के 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में कोई आपत्ति नहीं जताता है, तो उसे उधारकर्ता के लिए सही और बाध्यकारी माना जाएगा। हालांकि, ACSI अपने पूर्ण अधिकार से, लेन-देन पर उधारकर्ताओं की आपत्ति की वैधता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही ऐसी आपत्ति 24 घंटे के भीतर प्राप्त हुई हो। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि अनुच्छेद 6.2(i) के अनुसार उधारकर्ता के ईमेल पते में परिवर्तन हो और उसकी सूचना ACSI को नहीं दी जाती है और इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों की गैर-प्राप्ति के लिए ACSI जिम्मेदार नहीं होगा।

- (e) The Borrower also agrees that ACSI shall not take cognizance of out-of-office / out-of-station auto replies and the Borrower is deemed to have received such email if it satisfies the provisions of sub-clause (c) of this Article 10. Unless the Borrower informs ACSI of the change of the address for communication in writing, e-mail or telephone, all notice, circulars, communication or mail sent or left to the existing address shall be deemed to have been received by the Borrower irrespective of whether they are actually received or not.

- (e) उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि ACSI कार्यालय से बाहर/शहर से बाहर के स्वचालित उत्तरों का संज्ञान नहीं लेगा और उधारकर्ता को ऐसा ईमेल प्राप्त हुआ माना जाएगा अगर वह अनुच्छेद 10 के उपनियम (c) के प्रावधानों को संतुष्ट करता है। जब तक उधारकर्ता लिखित रूप में, ईमेल या टेलीफोन द्वारा सूचना के लिए अपने पते में परिवर्तन के बारे में ACSI को सूचित नहीं करता है, तब तक मौजूदा पते पर भेजे गए या छोड़े गए सभी नोटिस, परिपत्र, सूचना या मेल उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए माने जाएंगे, भले ही वे वास्तव में प्राप्त हुए हों या नहीं।

10.9 Severability

The Borrower undertakes that each of his/her/its obligations under these T&Cs is independent and severable from the rest. If any obligation is found not enforceable by a court of law, for any reason, the Borrower shall continue to remain bound by the other obligations stipulated therein.

10.9 पृथकता

उधारकर्ता यह वचन देता है कि इन नियम और शर्तों के तहत उसकी प्रत्येक बाध्यता स्वतंत्र है और बाकी से पृथक की जा सकती है। यदि किसी कारण से न्यायालय द्वारा कोई दायित्व लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उधारकर्ता उसमें निर्धारित अन्य दायित्वों से बंधा रहेगा।

10.10 Jurisdiction

The Borrower expressly understands that any legal proceedings against him arising out of these T&Cs shall be instituted in the courts at Mumbai, which courts alone shall have exclusive jurisdiction.

10.10 अधिकार क्षेत्र

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से समझता है कि इन शर्तों और नियमों से उत्पन्न किसी भी कानूनी कार्यवाही उसके विरुद्ध केवल मुंबई के न्यायालयों में ही की जाएगी, और इन मामलों में केवल मुंबई के न्यायालयों को ही विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

10.11 Dispute Resolution

All claims, disputes, differences or questions of any nature arising between the parties relating to these T&Cs shall be referred to the arbitrator appointed by ACSI. The parties hereto mutually agree and confirm that the arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended from time to time and the proceedings shall be held at Mumbai. Pending the declaration of the award (including any interim award/ order), the Borrower shall be liable to perform its obligations under these T&C including payment of all installments and other out-standings, if any, to ACSI.

10.11 विवाद समाधान

इन नियमों और शर्तों से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी दावे, विवाद, मतभेद या प्रश्न ACSI द्वारा नियुक्त न्यायकर्ता को भेजे जाएंगे। पक्षकार परस्पर सहमत हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार संचालित की जाएगी और कार्यवाही मुंबई में आयोजित की जाएगी। अवार्ड की घोषणा (किसी भी अंतरिम अवार्ड/आदेश सहित) लंबित होने तक, उधारकर्ता ACSI को सभी किश्तों और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, के भुगतान सहित इन नियमों और शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.12 The Borrower acknowledges that the contents of these T&Cs have been fully read by him/her/it, understood by him/her/it and he/she/it has raised all questions/ queries which have been explained to and understood clearly by him/her/it only after which the Borrower has agreed to the same and decided to proceed with his/her/its Loan Application.

Conflict of terms: In the event of conflict of any of the provisions of any documents with these T&Cs, unless it was ACSI's intention that the term in any document shall prevail, the terms of these T&Cs shall prevail over the conflicting provision.

10.12 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इन नियमों और शर्तों के विषयों को उसने पूरी तरह से पढ़ा है, समझा है और उसने सभी प्रश्न/शंका उठाए हैं, जिन्हें उसे स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है और उसके द्वारा अच्छे से समझा गया है, जिसके बाद ही उधारकर्ता ने उनसे सहमति व्यक्त की है और अपने ऋण आवेदन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इन नियमों और शर्तों के साथ किसी भी दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान के मतभिन्नता की स्थिति में अक्सर टकराव होता है, जब तक कि ACSI की यह मंशा न हो कि किसी भी दस्तावेज़ में नियम प्रबल होंगे, इन नियम और शर्तों के नियम परस्पर विरोधी प्रावधान पर प्रबल होंगे।

Application No _____

Agreement No _____

Applicant Signature _____

/ /

आवेदन संख्या _____

अनुबंध संख्या _____

आवेदक के हस्ताक्षर _____

I have read, understood and fully agree to the above Terms and Conditions with their legal consequences, and by signing this, I fully agree and commit to the terms and conditions imprinted.

मैंने उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ा, समझा है और उनके कानूनी परिणामों के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, और इस पर हस्ताक्षर करके, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इसमें अंकित नियम और शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।

ANNEXURE - I

The Borrower and Guarantor are requested to note that if there is a default in making payment of Principal or interest or any other amount wholly or partly levied by ACSI on or before due date, then such overdue loan account shall be classified as SMA (Special Mention account) or NPA (Non-performing asset) as per RBI regulations as indicated in below table:

Sr. No.	SMA categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue
1	SMA - 0	Upto 30 days
2	SMA - 1	More than 30 days and upto 60 days
3	SMA - 2	More than 60 days and upto 90 days
4	NPA*	More than 90 days

***Upgradation of accounts classified as NPAs**

Loan account once classified as NPA can be upgraded as standard only after entire arrears of principal, interest and any other amount are paid by the borrower to ACSI.

It is clarified that the Borrower accounts shall be flagged as overdue by ACSI as part of their day-end processes for the due date, irrespective of the time of running such processes. Similarly, classification of the Borrower accounts as SMA as well as NPA shall be done as part of day-end process for the relevant date and the SMA or NPA classification date shall be the calendar date for which the day end process is run. In other words, the date of SMA/NPA shall reflect the asset classification status of an account at the day-end of that calendar date. Below is the example for your understanding:

Example: If due date of a loan account is 2nd April, and full dues are not received before ACSI runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be 2nd April. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on 2nd May, i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be 2nd May.

Similarly, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA-2 upon running day-end process on 1st June and if continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on 1st July.

Signature of the Customer: _____